न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :— **सुभाष चंद्र**

तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का रघुनाथपुरा,

बनाम

श्री जगदीश पुत्र श्री नारायण जाति मेघवाल निवासी रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी

अर्तगत धारा 91 राज0 भू. राजस्व अधिनियम, 1956

—:निर्णय:—

प्रकरण संख्या:— 11 / 2022 दिनांक 27.01.2022

27.01.2022 पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का रघुनाथपुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि संवत 2078 में मौजा ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का रघुनाथपुरा के हाल भूमि खसरा नम्बर 525 कुल रकबा 0.2280 है0 किस्म बंजड़ 2 में से 0.0070 है0 सरकारी भूमि पर श्री जगदीश पुत्र श्री नारायण जाति मेघवाल निवासी रघुनाथपुरा ने अनाधिकृत रुप से अतिकमण किया हैं। प्रकरण को राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर अपना जबाब पेश किया, जबाब में उक्त आराजी का उसके हक में नियतन करने का निवेदन किया।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रुप अतिकमण करने के फलस्वरुप अतिकमी घोषित किया जाता हैं तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भौतिक रुप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

वाके ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का रघुनाथपुरा के हाल भूमि खसरा नम्बर 525 कुल रकबा 0.2280 है0 किस्म बंजड़ 2 में से 0.0070 है0 सरकारी भूमि पर से श्री जगदीश पुत्र श्री नारायण जाति मेघवाल निवासी रघुनाथपुरा को बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं, सांथ ही इस अनाधिकृत अतिकमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 0.93 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 47/—रुपये (अक्षरे रू सैंतालीस मात्र) बतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एवं भू अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाये। भू अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि से बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.01.2022 को खुले इजलास सुनाया गया।

(सुभाष चंद्र)
नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी